क्रम-संख्या--71

रजिस्टर्ड नं० एल० डब्लू०/एन०पी० ...
लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41
लाइसेन्स टु पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 24 मार्च, 1999

चैत्र 3, 1921 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 746/सत्रह-वि-1-1 (क) 8-1999

लखनऊ, 24 मार्च, 1999

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1999 पर दिनांक 24 मार्च, 1999 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1999 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1999

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1999)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायेगा।

(2) यह 3 फरवरी, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1979 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, परन्तुक में शब्द "किसी स्थानीय क्षेत्र में जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो", निकाल दिये जायेंगे।

धारा 9 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 9 में शब्द "जिला मजिस्ट्रेट" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "यथास्थिति, सहायक आयुक्त, या मनोरंजन कर अधिकारी" रख दिये जायेंगे।

धारा 11 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 11 में,—

(क) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"(4) जहां किसी आमोद का सम्पूर्ण सकल आगम, आमोद के व्यय के मद्दे किसी प्रकार की कोई कटौती किये बिना लोकोपयोगी, धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिये अर्पित कर दिया जायगा वहां जिला मजिस्ट्रेट :—

(क) ऐसे मामले में जिसमें आमोद का सम्पूर्ण सकल आगम बीस हजार रुपये से अधिक न हो, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुये ऐसे आमोद को, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों पर जैसी वह अधिरोपित करना उचित समझे, इस अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने से मुक्त कर सकता है;

(ख) ऐसे मामले में, जिसमें आमोद का सम्पूर्ण सकल आगम बीस हजार रुपये से अधिक हो, अपनी संस्तुति और अन्य सुसंगत अभिलेखों सहित मामले को आमोद और पणकर आयुक्त को निर्दिष्ट करेगा और आयुक्त, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुये, ऐसे आमोद को ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों पर जैसी वह अधिरोपित करना उचित समझे, इस अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने से मुक्त कर सकता है।"

(ख) उपधारा (5) और (6) में शब्द "जिला मजिस्ट्रेट" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या आमोद और पणकर आयुक्त" रख दिये जायेंगे।

धारा 12 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 12 में शब्द "दस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "बीस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 24 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 24 में शब्द "दो हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 25 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 25 में शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 26 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 26 में शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 27 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 27 में शब्द "पांच हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 28 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 28 में शब्द "एक हजार रुपये" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "पांच हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 29 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 29 में शब्द "तीन हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "छः हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 29-क का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 29-क में शब्द "पांच हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 30 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 30 में शब्द "दो हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

र प्रदेश ध्यादेश ा 7 1999

14—(1) उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 746(2)/XVII-V-1—1(KA)-8-1999
Dated Lucknow, March 24, 1999

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Amod Aur Pankar (Sanshodhan) Adhiniyam, 1999 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 1999) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 24, 1999.

THE UTTAR PRADESH ENTERTAINMENTS AND BETTING TAX (AMENDMENT) ACT, 1999

(U. P. ACT NO. 12 OF 1999)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979.

IT IS HEREBY enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Amendment) Act, 1999. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on February 3, 1999.

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979, hereinafter referred to as the principal Act, in the proviso the words "in a local area having a population not exceeding one lac" shall be *omitted*. Amendment of section 3 of U. P. Act no. 28 of 1979

3. In section 9 of the principal Act *for* the words "District Magistrate," wherever occurring, the words "Assistant Commissioner or Entertainment Tax Officer, as the case may be" shall be *substituted*. Amendment of section 9

4. In section 11 of the principal Act,— Amendment of section 11

(*a*) *for* sub-section (4) the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(4) Where the entire gross proceeds of an entertainment are to be devoted to philanthropic, religious or charitable purposes without any deductions whatsoever on account of the expenses of the entertainment, the District Magistrates :—

(*a*) may, in the case of the entertainment whose entire gross proceeds do not exceed rupees twenty thousand, subject to the rules made under this Act, grant exemption to such entertainment from payment of tax under this Act on such terms and conditions as he may deem fit to impose;

(*b*) shall, in the case of the entertainment whose entire gross proceeds exceeds rupees twenty thousand, refer the matter to the Entertainment and Betting Tax Commissioner alongwith his recommendations and other relevant records

and the Commissioner may, subject to the rules made this Act, grant exemption to such entertainment payment of Tax under this Act on such terms and cond as he may deem fit to impose."

(b) in sub-sections (5) and (6) for the words "D Magistrate", wherever occurring, the words "District Magistr Entertainment and Betting Tax Commissioner, as the case be," shall be *substituted*.

Amendment of section 12

5. In section 12 of the principal Act *for* the words "ten thou rupees" the words "twenty thousand rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 24

6. In section 24 of the principal Act *for* the words "two thou rupees" the words "five thousand rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 25

7. In section 25 of the principal Act *for* the words "one thous rupees" the words "five thousand rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 26

8. In section 26 of the principal Act *for* the words "one thous rupees" the words "five thousand rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 27

9. In section 27 of the principal Act *for* the words "five thousa rupees" the words "ten thousand rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 28

10. In section 28 of the principal Act *for* the words "one thouss rupees" wherever occurring, the words "five thousand rupees" shall *substituted*.

Amendment of setcion 29

11. In section 29 of the principal Act *for* the words "three thousa rupees" the words "six thousand rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 29-A

12. In section 29-A of the principal Act *for* the words "five thousan rupees" the words "ten thousand rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 30

13. In section 30 of the principal Act *for* the words "two thousan rupees" the words "five thousand rupees" shall be *substituted*.

Repeal and savings

14. (1) The Uttar Pradesh Entertainments and Betting Ta (Amendment) Ordinance, 1999 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 311 सा० (विधा०)—(2505)—1999—850 (मेक०)